तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मंगलचन्द सैनी बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/91**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 19(6)(26) आर.आर.नं 6687/EFN 05854/2024/44 दिनांक 06.02.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होंनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन दिनांक 21.11.2024 को इस कार्यालय में दिनांक 25.11.2024 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र दिनांक 21.11.2024 द्वारा अपेक्षित सूचना संभागीय आयुक्त कार्यालय, सीकर से संबंधित होने से कारण मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय के रजि0 पत्रांक 663 दिनांक 28.11.2024 द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी, अति0 संभागीय आयुक्त, सीकर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत अंतरित किया गया है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के आर.टी.आई. आवेदन पत्र द्वारा अपेक्षित उक्त सूचना संभागीय आयुक्त कार्यालय, सीकर से संबंधित होने से कारण आवेदन इस कार्यालय के रजि0 पत्रांक 663 दिनांक 28.11.2024 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, अति0 संभागीय आयुक्त, सीकर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत अंतरित की जाकर प्रतिलिपि आवेदन/अपीलार्थी को भी पृष्ठांकन क्रमांक 664 दिनांक 28.11.2024 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । **(पूनम)** **संभागीय आयुक्त** **जयपुर** संभागीय आयुक्त जयपुर	